forest corporations under the Chairmanship of Dr. N.C. Saxena, Secretary, Ministry of Rural Areas & Employment. The recommendations of the Working Group are still awaited.

(c) and (d) The Government had set up a committee in October 1997 to review the National Forest Policy, 1988 and its implementation. The committee has submitted its report in February, 1998 with the main recommendations that "The National Forest Policy, 1988, per se, does not need major changes," as a period of nine years is inadequate to assess its impact. The Government has sought the opinion of all the State/UT Governments on the recommendations of the Committee.

प्रदूषण संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए मामले

3401. **श्री राधाकिशन मालवीयः**

श्रीमती वीणा वर्माः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(vii) गत तीन वर्षों में पायु (प्रदूषण निवांरण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरवार कितने-कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों, कारखानों, वाहनों, तेलशोधक कारखानों, इस्पात संयंत्रों के खिलाफ उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और ये किनके विरुद्ध दर्ज किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में (नगरवार), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नवत् हैः-

नगर/जिले का नाम		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
1	कटनी	12	
2	देवास	1	1
3	बिलासपुर		1
4	मुरैना		1
5	खरगोन		1
	कुल	13	4

(viii) और (ग) विवरण के अनुसार। (निचे देखिए)।

विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम	जिला	अधिनियम तथा धारा	दायर करने की तारीख	निजी/सरकारी उपक्रम
1	म.प्र. विद्युत मंडल (पूर्वी) कोरबा	बीलासपुर	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 धारा 43, 44	12.9.95	राज्य सरकार का उपक्रम
2	के.एस. आयल मिल्स, मुरैना	मुरैना	जल (प्रदूषण निवारण एवं निमंत्रण) अधिनियम, 1974 धारा 33, 44	23.2.%	-निजी-

क्र. सं	उद्योग का नाम	जिला	अधिनियम तथा धारा	दायर करने की तारीख	निजी/सरकारी उपक्रम
3	केशव आयल मिल, झुकाही	कटनी	वायु (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 37,38, 39 और 22(अ)	4.11.95	-वही-
4	मार्डन स्टोन लाइम, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
5	लोम लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
6	सुबोध लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
7	प्रभात लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
8	एस.एस. सालूजा लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
9	वैंकटेश्चर केमिकल्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
10	दुर्गोश्चरी लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 37, 38, 39 और 22(अ)	4,11,95	-निजी-
11	अर्जुन लाइम वर्क्स, झूकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
12	आर.वी. इंडस्ट्रीज, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
13	राजा भार्गव लाइम वर्क्स, झुकाही	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
14	निकू मिनरलज, झुकाहो	कटनी	-वही-	-वही-	-वही-
15	मै. एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरीज बड़वाह	खरगोन	जल (प्रदूषण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 धारा 47	8.7.97	-वही-
16	मै. ज्योति वेइंग सिस्टम, देवास	देवास	वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 37, 39, 40	25.9.97	-वही-
17	बैंक नोट प्रेस, देवास	देवास	जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 धारा 44	23.3.98	भारत सरकार का उपक्रम

Constitution of Group for the Management of Chemical Hazards

3402. SHRI O.P. KOHLI: Will the Miniser of ENVIRONEMNT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government had constituted a Central Crisis Group for the management of chemical hazards;

(b) if so, the outcome of the analysis done by this Group so far; and